इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495] भोपाल, शनिवार, दिनांक 25 अक्टूबर 2014—कार्तिक 3, शक 1936

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014

क्र. 6142-268-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश

क्रमांक ९ सन् २०१४

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक 25 अक्टूबर, २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत:, राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरन्त कार्रवाई करें ;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, २०१४ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २६ सन् १९६१ का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

२. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, १९६१ (क्रमांक २६ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), धारा ३ और ५ में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा २ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा २ में,—(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (क) में, शब्द ''बीस से अधिक'' के स्थान पर, शब्द ''पचास से अधिक'' स्थापित किए जाएं;

(दो) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित नई उपधारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:—

''(३) इस अधिनियम में की कोई भी बात सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) के अधीन ''सूक्ष्म उद्योग'' के रूप में वर्गीकृत किसी स्थापना या औद्योगिक सत्ता को लागू नहीं होगी :

परंतु राज्य सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि कर्मकारों के हित में ऐसा करना आवश्यक है, किसी सूक्ष्म उद्योग या सूक्ष्म उद्योगों के वर्ग को प्रदान की गई कोई छूट, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से वापस ले सकेगी.

धारा ८ का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ८ में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थात्:—

''परंतु जहां सरकार ने मानक स्थायी आदेशों में कोई संशोधन किया है वहां उसे किसी पंचाट, करार या समझौते में और किसी उपक्रम को लागू स्थायी आदेशों के प्रमाणित संशोधनों में सम्यक्रूप से सम्मिलित कर लिया गया समझा जाएगा.''

५. मूल अधिनियम की धारा १७-क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाए, अर्थात्:— धारा १७-ख का अंत:स्थापन.

"१७-ख. इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, इस निमित्त राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, प्रथम बार या पूर्व के अपराध के (यदि कोई हो), कारित किए जाने से दो वर्ष की कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् कारित किसी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या उसके पश्चात्, प्रशमन शुल्क के रूप में उतनी धन राशि, जो जुर्माने की अधिकतम धन राशि से अधिक न हो परन्तु जो जुर्माने की अधिकतम धनराशि के आधे से कम न हो, जितनी कि वह उचित समझे, वसूल करने के पश्चात्, प्रशमन करा सकेगा; जब अपराध का प्रशमन— अपराधों का प्रशमन.

(एक) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व, कराया जाता है तो अपराधी अभियोजन का दायी नहीं होगा और यदि अभिरक्षा में है तो स्वतंत्र कर दिया जाएगा;

(दो) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् कराया जाता है तो प्रशमन से अपराधी दोषमुक्त हो जाएगा.".

भोपाल :

तारीख : २२ अक्टूबर, सन् २०१४.

रामनरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 2014

क्र. 6143-268-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) संशोधन अध्यादेश, 2014 (क्रमांक 9 सन् 2014) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 9 of 2014

THE MADHYA PRADESH INDUSTRIAL EMPLOYMENT (STANDING ORDERS) AMENDMENT ORDINANCE, 2014

[First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 25th October, 2014.]

Promulgated by the Governor in the sixty-fifth year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Ordinance, 2014. **Short title and commencement.**

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Madhya Pradesh Act No. 26 of 1961 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendments specified in Sections 3 and 5.

Amendment of section 2.

3. In Section 2 of the principal Act,—(i) in sub-section (1), in clause (a), for the words "more than twenty", the words "more than fifty" shall be substituted;

(ii) after sub-section (2), the following new sub-section shall be inserted, namely:—

"(3) Nothing in this Act shall apply to an establishment or industrial entity classified as 'Micro Industry' under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (No. 27 of 2006):

Provided that the State Government may withdraw, partially or fully, any exemption granted to any Micro Industry or category of Micro Industries, if it is satisfied that it is so required in the interest of workers.".

Amendment of section 8.

4. In Section 8 of the principal Act, in sub-section (3), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where the Government has made any amendment in the Standard Standing Orders, the same shall be deemed to be duly incorporated in any award, agreement or settlement and in the certified amendments to the standing orders applicable to an undertaking.".

Insertion of section 17-B.

5. After Section 17-A of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Composition of offences.

"17-B. Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act, an officer authorized by the State Government in this behalf by notification may, subject to any general or special order of the State Government in this behalf, compound any offence committed for the first time or after expiry of a period of two years of commitment of previous offence (if any), either before or after institution of the prosecution, on realization of such amount of composition fee, as he thinks fit, not exceeding the maximum amount of fine but not less than half of the maximum amount of fine for the offence as composition fee; when the offence is so compounded—

(i) before the institution of the prosecution the offender shall not be liable to prosecution and shall, if in custody, be set at liberty;

(ii) after the institution of prosecution, the composition shall amount to acquittal of the offender.".

Bhopal :

Dated the 22nd October, 2014.

RAM NARESH YADAV
Governor,
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.